राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायती राज विभाग

प्रथम तल, चौपाल विश्रान्ति गृह, बड़ोदिया बस्ती, (जयपुर जंक्शन के पास), जयपुर 302006
फोन– 0141 2205802 ईमेल: sbmg2018@gmail.com

क्रमांक : एफ 12( )परावि/एसबीएम/ BSR Sanitation/2024–25/ 3037-44 दिनांक : 05.02.2025

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।

विषयः– ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित स्वच्छता सुनिश्चित करने एवं सम्पादित स्वच्छता गतिविधियों के भुगतान के क्रम में।

प्रसंगः– विभागीय पत्र क्रमांक 2197–2202 दिनांक 18.11.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थायी आदेश संख्या 1/2024 दिनांक 03.09.2024 द्वारा स्वच्छता संबंधी 05 आईटम की दरों का निर्धारण कर संवेदक के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर नियमित स्वच्छता संबंधी कार्य करवाये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

उक्त क्रम में विभाग द्वारा एक मॉडल टेण्डर डक्यूमेन्ट का प्रारूप भिजवाया गया है। मॉडल टेण्डर डक्यूमेन्ट के बिन्दु संख्या 27, 28, 31 में किये गये कार्य की भुगतान प्रक्रिया का उल्लेख है। संवेदक के माध्यम से करवाये जा रहे स्वच्छता कार्य का भुगतान टेण्डर डॉक्यूमेंट में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार मासिक आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा :–

(अ) सफाई कार्य की ग्राम पंचायत के दैनिक रजिस्टर में प्रविष्टि/रिपोर्ट।
(ब) ग्राम पंचायत में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति की रिपोर्ट।
(स) स्वच्छता कार्यो की ऑनलाईन पोर्टल लागू किये जाने पर ऐप की रिपोर्ट।
(द) तकनीकी अधिकारी (कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता) द्वारा सड़क एवं नाली सफाई कार्य का सत्यापन एवं समस्त 4 संधारित रजिस्टरों में इन्द्राज कर हस्ताक्षर करना।
(य) उक्तानुसार संधारित रजिस्टर/लॉगबुक की प्रतिलिपि प्रतिमाह विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी।

उक्तानुसार हस्ताक्षरित रजिस्टर की छायाप्रतियां बिल के साथ संलग्न कर भुगतान किया जा सकेगा।

कार्यो के सम्पादन हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, RTPP Act and Rules, ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 15वां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग (योजना की मार्गदर्शिका) के प्रावधान लागू होगे तथा जिसमें SOP के अनुसार संबंधित तकनीकी अधिकारियों द्वारा कार्यो की निरीक्षण/सत्यापन/प्रमाणिकरण उपरांत उपयोगिता प्रमाण–पत्र/पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के पश्चात् राशि का समायोजन 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Jogа Ram
Designation: Secretary To Government
Date: 2025.02.05 17:44:55 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायती राज विभाग

प्रथम तल, चौपाल विश्रान्ति गृह, बड़ोदिया बस्ती, (जयपुर जंक्शन के पास), जयपुर 302006
फोन– 0141 2205802 ईमेल: sbmg2018@gmail.com

अतः संवेदक के माध्यम से सम्पादित नियमित स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के भुगतान के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही करने का श्रम करें।

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.), जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, पंचायतीराज विभाग।
4. अधीक्षण अभियंता, परियोजना/एस.बी.एम.जी./ग्रा.वि. मुख्यालय, जयपुर।
5. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायती राज), जिला परिषद–समस्त।
6. जिला परियोजना समन्वयक/प्रभारी अधिकारी, SBMG जिला परिषद– समस्त।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त।

Signature valid
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.02.05 17:44:55 IST
Reason: Approved